सं. 31011/3/2016-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्था. क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हवाई यात्रा किराया की स्वीकार्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.04.2006, 21.05.2007 और 03.12.2007 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 31011/2/2006-स्था.(क) के संबंध में ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जो यह निर्धारित करता है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ लेते समय गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे मामलों में की गई प्रतिपूर्ति कर्मचारी की हकदारी की श्रेणी के रेल किराए तक सीमित होगी। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि रेल द्वारा यात्रा करने पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेलवे द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाता है जबकि एअर लाइन्स सेवाओं द्वारा दो वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया लिया जाता है।

2. इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें ऐसी स्थिति में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जहां एक गैर-हकदार सरकारी सेवक का पांच वर्ष से कम उम्र का बच्चा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज से यात्रा करता है और सरकारी सेवक द्वारा अपने बच्चे के संबंध में उसकी हकदारी के रेल यात्रा किराए का दावा किया जाता है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि क्योंकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल यात्रा का कोई किराया नहीं लिया जाता है, अत: छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की गई हवाई यात्रा के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यह भी नोट किया जाए कि यह प्रावधान उन यात्रा खंडों पर लागू नहीं होंगे जहां समय-समय पर विद्यमान विशेष छूट स्कीमों के अंतर्गत गैर-हकदार सरकारी सेवकों और उनके परिवारों को हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है।

सूर्य नारायण झा
16.5.18
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।